


राजस्थान सरकार
रोजगार सेवा निदेशालय,
दरबार स्कूल परिसर, गोपीनाथ मार्ग, जयपुर
दूरभाष संख्या-0141-2368850



RIGHT TO
INFORMATION

क्रमांक:प.2(298)सं.अराज/सूचना/2020/12485

रजिस्टर्ड
दिनांक: 3.11.20


श्री रोहन विजय सरदार,
सेन्ट्रल इन्स्टीट्यूट ऑफ
वोकेशनल एण्ड टेक्निकल एजुकेशन,
तनिष्का हाईटर्स अपार्टमेन्ट,
फ्लेट नं. 201, रेणुका नगर,
लेन नं. 2, वर्जी, पुणे-411058

विषय :- सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत सूचना उपलब्ध
कराने बाबत।

संदर्भ :- आपका आवेदन पत्र दिनांक 19.10.2020

उपर्युक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के अनुक्रम में आप द्वारा चाही गई सूचना
संलग्न कर प्रेषित है।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार (02 पृष्ठ)


उप निदेशक (प्रशासन)
एवं राज्य लोक सूचना अधिकारी

कार्यालय टिप्पणी

विषय :- सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत प्राप्त आवेदन पत्र की सूचना उपलब्ध करवाने बाबत।

संदर्भ :- आपका यू.ओ.नोट क्रमांक: प.2(298)संअ/सूचना/2020/12098
दिनांक: 21-10-2020

विषयान्तर्गत प्रासंगिक यू.ओ.नोट के अनुक्रम में श्री रोहन विजय सरदार निवासी पुणे द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत प्राप्त पत्र के संबंध में अनुभाग की टिप्पणी निम्न प्रकार है :-

रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 30 सितम्बर, 2010 को राष्ट्रीय रोजगार सेवा में निहित कार्यवाही विवरण EEM No.1/2010/Pt.I-VII/7.9 में यह स्पष्ट है कि राजकीय/मान्यता प्राप्त संस्थाओं के अतिरिक्त ऐसी सभी बिना मान्यता प्राप्त संस्थाओं(फर्जी संस्थाओं को छोड़कर) द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र/डिप्लोमा सर्टिफिकेट धारक का रोजगार कार्यालयों में पंजीयन किया जा सकता है। इस निर्देश के अनुरूप ही एम एस एम ई मंत्रालय, भारत सरकार में पंजीकृत संस्थाओं द्वारा आशार्थियों को अन्तरराष्ट्रीय योग्यता संबंधी प्रमाण पत्र के आधार पर भी पंजीयन किया जा सकता है।



उप निदेशक(पद्धति)

यू.ओ.नोट क्रमांक:ईपी:19(12)विविध/2020/ 12167

दिनांक: 23-10-20

उप निदेशक(प्रशासन)
एवं राज्य लोक सूचना अधिकारी,
निदेशालय, जयपुर।